बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 143492 पटना, दिनांक 26/03/2013

ग्रा.वि-7(आ.)-06/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी /

सभी अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-उप विकास आयुक्त,

बिहार ।

विषय :- मनरेगा के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मनरेगा अधिनियम में यह प्रावधान है कि मनरेगा के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायत प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी होगी । यह भी प्रावधान है कि पंचायत क्षेत्र में होने वाली कुल व्यय का न्यूनतम 50% ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा ।

2. अधिनियम में खुलापन, पारदर्शिता एवं जबावदेही को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं ।

3. मनरेगा के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 5 लाख रूपये तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायतों द्वारा दिए जाने की शक्तियॉ विभागीय संकल्प संख्या 9888 दिनांक 25.08.2010 द्वारा प्रत्यायोजित की गयी है ।

4. मनरेगा के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत की संस्थागत भूमिका सुनिश्चित करने के लिए निम्नवत दिशानिर्देश दिए जाते हैं :-

4.1 मनरेगा के अंतर्गत किया जाने वाले व्यय प्रत्येक सप्ताह ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन कराकर ही किया जाय । मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, उनमें होने वाले व्यय से संबंधित श्रम एवं सामग्री भुगतान विवरणी MIS से Generate की जाय। उस विवरणी को ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरांत ही उस विवरणी में सन्निहित राशि का भुगतान

किया जाय । कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के बिना भुगतान नहीं किया जाय । पंचायत रोजगार सेवक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे समय पर मस्टर रॉल और वाउचर की प्रविष्टि करके wage List एवं Material List तैयार करें और उसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ।

4.2 **<u>योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति</u>** :- सरकार द्वारा निर्गत संकल्प में 5 लाख रूपये तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्तियॉ ग्राम पंचायतों को प्रदान की गयी है । अत: तदनुसार हर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रदान की जाय । प्रशासनिक स्वीकृति तभी प्रदान की जाय, जब योजना ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित हो, वार्षिक कार्य योजना में शामिल हो, तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन उपलब्ध हो, जिसमें तकनीकी स्वीकृति सक्षम शक्ति प्रदत्त अभियंता द्वारा प्रदान की गयी हो । तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मानव प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा सीधे दी जाएगी ।

4.3 **<u>जन शिकायत निवारण</u>** :- राज्य सरकार द्वारा मनरेगा में जन शिकायतों के निवारण के लिए नियमावली अधिसूचित की गयी है। उक्त नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त होने वाले जन शिकायतों के निष्पादन का प्रारंभिक स्तर ग्राम पंचायत होगी । तदनुसार ग्राम पंचायत के स्तर पर जो भी शिकायतें प्राप्त होगी, उन पर कार्यकारिणी समिति में विचार किया जाएगा । कार्यकारिणी समिति आवश्यकतानुसार उनकी जॉच कराएगी और विधि सम्मत कार्रवाई करेगी । ऐसी शिकायतें कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा भी लायी जा सकती है । प्राप्त हुई सभी शिकायतों पर समयबद्ध सीमा के अंतर्गत निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय । पंचायत स्तर पर शिकायत निवारण पंचायत रोजगार सेवक की प्रमुख जिम्मेदारी है और वह पंचायत शिकायत निवारण पंजी का संधारण सुनिश्चित करेंगे ।

4.4 सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रचार-प्रसार संबंधी की जा रही कार्रवाई की समीक्षा कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाएगी ।

4.5 **<u>स्वीकृति प्रदत्त कार्यरत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा</u>** :- कार्यकारिणी समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि अधिनियम के अंतर्गत मंजूर की गयी सभी योजनाओं की प्रगति की सामयिक तौर पर समीक्षा करें । कार्यकारिणी समिति यह देखेगी कि जो काम लिए गए हैं, उनकी उचित प्रगति चल रही है, उनके कार्यान्वयन में कोई व्यवधान आ रहा हो तो उसको दूर किया जाय और समय सीमा के अंदर योजनाएं पूर्ण हों । योजनाओं की अंतिम मापी हो जाय तथा फोटोग्राफी हो जाय ।

4.6 **<u>प्रशासनिक व्यवस्था</u>** :- प्रत्येक पंचायत में कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को पंचायत के कार्यालय में होगी । जिन पंचायतों में पंचायत सचिव एक से अधिक पंचायतों के प्रभार में हैं, उनके लिए प्रभार के पंचायत की साप्ताहिक कार्यकारिणी की बैठक गुरूवार को होगी । यदि किसी कारणवश साप्ताहिक बैठक नियम तिथि को नहीं हो सकी तो वह उसके ठीक अगले कार्यदिवस को होगी । इन बैठकों के लिए नोटिस निर्गत करने की बाध्यता नहीं होगी ।

ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति में पंचायत रोजगार सेवक, मनरेगा सहायक के रूप में भाग लेंगे, वे सभी संबंधित कागजात कार्यकारिणी के अवलोकन के लिए ससमय प्रस्तुत करेंगे । कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही एक पंजी में संधारित की जाएगी। कार्यवाही बैठक के तुरंत बाद वहीं लिखी जाएगी और उसमें उपस्थित सभी सदस्यों का हस्ताक्षर कराया जाएगा । ग्राम पंचायत के मुखिया की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी की बैठक के संबंध में पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उप मुखिया एवं उसकी अनुपस्थिति में वैकल्पिक अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाएगी । कार्यकारिणी समिति की कार्यवाही के सार की अभिप्रमाणित प्रति के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । यह बैठक पंचायत के कार्यालय में होगी ।

5. कार्यक्रम पदाधिकारी इन निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा सुनिश्चित करके शत-प्रतिशत अनुपालन कराएंगे । कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायत तकनीकी सहायकों एवं कनीय अभियंताओं का रोस्टर बना देंगे ताकि वे भी सक्रिय रूप में इन बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग ले सकें ।

6. मनरेगा के कार्यान्वयन में पंचायत समिति की निगरानी एवं अनुश्रवण की भूमिका है । तदनुसार संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी इस निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेंगे ।

7. इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन राज्य के सभी प्रखंडों के ग्राम पंचायतों में अप्रैल 2013 से शुरू किया जाएगा ।

विश्वासभाजन

26.3.13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव